प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्र0सू0रि0 सं. 267/2023 दिनांक 6/10/2023

2.(i) अधिनियम..भ्रष्टाचार निवारण अधियिम 1988 (यथा संशोधित 2018) ....धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....120बी भादस

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....107..... समय .....7'20 pm.....
(ख) अपराध घटने का दिन .गुरूवार..दिनांक :– 17.08.2023 समय .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– पुलिस चौकी राणीसती
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 08 किलोमीटर
(ब) पता :– पुलिस चौकी राणीसती
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री मनोज कुमार
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री दानाराम ढाका
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 38 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– नेतड़वास पुलिस थाना धोद जिला सीकर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री महेन्द्र सिंह ओला पुत्र श्री गणपत राम निवासी ग्राम कुड़ली पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल सहायक उप निरीक्षक, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर
2. श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी ग्राम रोरू बड़ी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल हैड कानि. नं. 576, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 2500 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दानाराम ढाका जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी नेतड़वास पुलिस थाना धोद जिला सीकर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इय आशय का प्रस्तुत किया कि "दिनांक 02.07.2023 को श्रीराम ट्रोमा सेंटर के पास मेरी गाडी आरजे 23 युबी 5005 जिसको ड्राईवर महिपाल नेहरा, ग्राम मौल्यासी चला रहा था जो आगे चल रही गाडी (वर्ना) में पिछे से टकरा गई क्योकिं आगे गाडी ने अचानक ब्रेक लगाया। इस घटना बाबत मुकदमा उधोग नगर में दर्ज करवाया गया। इसमें कल दिनांक 16.08.23 को मैं, मेरा ड्राईवर गाड़ी के साथ राणीसती चौकी पर थे। जिसमें जॉच अधिकारी ने मेरे से 5,000 की डिमांड की जिसमें जॉचाधिकारी श्री महेन्द्र जी ओला एएसआई है। उपरोक्त राशि में से 2500 रूपये कल

दिनांक 16.08.23 को ले लिए बाकि राशि 2500 रूपये आज दिनांक 17.08.23 को देने के लिए बोला है। शेष पैसे रिश्वत रूप में नही देना चाहता हूँ और रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, निमयानुसार कार्यवाही करें।'' मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री महेन्द्र ओला, एएसआई, पुलिस चौकी राणीसती पुलिस थाना उधोगनगर जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन–देन का पाया जाने पर समय 10.15 एएम पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी मनोज कुमार को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। टेप रिकार्डर श्री कैलाश चन्द कानि. नं.386 को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ समय करीब 11.05 एएम पर सीकर शहर रवाना किया गया। समय 12.15 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. मय परिवादी श्री मनोज कुमार के उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि '' सीकर शहर में पुलिस चौकी राणीसती के नजदीक पहूँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी टैप रिकार्डर लेकर पुलिस चौकी में अन्दर चला गया तथा परिवादी के पुलिस चौकी से वापिस बाहर आने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया।'' परिवादी मनोज कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि '' मैनें टेप रिकार्डर प्राप्त कर पुलिस चौकी के अन्दर जाकर श्री महेन्द्र सिंह एएसआई का मालूम किया तो चौकी में मौजुद नही मिलें कानि. जगमोहन व एक अन्य कानि. मिले जिनसे एएसआई के बारे में पुछा तो बताया कि डयुटी में गये हुये है। फिर कानिस्टेबल जगमोहन ने अपने मोबाईल से श्री महेन्द्र ओला एएसआई के मोबाईल पर अपने मोबाईल फोन का स्पकीर ऑन कर वार्ता की और कहॉ कि मनोज कुमार जी आये हुये है इनके मुकदमा नं. क्या है जिस पर मोबाईल पर दूसरी तरफ से एएसआई ने कहॉ कि 434 है, लेकिन इनसे पहले 2500 रूपये लेलो नही तो ये फिर नही आयेगा, फिर फोन कटने के पश्चात कानि. श्री जगमोहन ने मेरे को कहॉ कि 2500 रूपये फाईल का खर्चा दो जिस पर मैंने कहां कि लाकर दे दूगां, जिस पर कानि. जगमोहन ने मेरे को मुकदमा नं. बताकर कहॉ कि वकील से मिलकर के गाडी छुड़वालो और म्हांण कुछ ही नही चाहे उन्ही को दे देना'' फिर मैंने पुलिस चौकी से बाहर आकर डिजीटल टेप रिकार्डर श्री कैलाश चन्द कानि. को सुपुर्द कर दिया। डिजीटल टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होती है लेकिन एएसआई से आमने–सामने सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि एक दो दिन मुझे कोई आवश्यक कार्य है। जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी।

तत्पश्चात दिनांक 21.08.2023 को समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री मनोज कुमार उपस्थित कार्यालय आया जिस पर कार्यालय की आलमारी में रखा कार्यवाही से सम्बन्धित डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड आलमारी से निकालकर श्री कैलाश चन्द कानि. नं.386 को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ समय करीब 12.30 पीएम पर सीकर शहर रवाना किया गया। समय 12.40 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि पुलिस चौकी राणीसती में परिवादी गया एवं थोड़ी देर बाद आकर बताया कि पुलिस चौकी में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी मौजुद नही है। परिवादी श्री मनोज कुमार ने कानि. कैलाश चन्द के मोबाईल नं. से वार्ता की एवं बताया कि मैं चौकी में गया तो मुझे कोई भी उपस्थित नही मिला आज मेरे घर आवश्यक कार्य होने से घर जाना है कल आकर सत्यापन करवाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हिदायत खास कर कानि. कैलाश चन्द को परिवादी को छोड़कर चौकी में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत की गई। समय 01.20 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया। डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 22.08.23 को समय 08.45 एएम पर कानि. श्री कैलाश चन्द ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी

श्री मनोज मुकार का समय करीब 08.42एएम पर मेरे मोबाईल पर फोन आया एवं टेप रिकार्डर लेकर मुझे पुलिस चौकी के पास 9.40एएम पर बुलाया है, जिस पर कार्यालय की आलमारी में रखा कार्यवाही से सम्बन्धित डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड आलमारी से निकालकर श्री कैलाश चन्द कानि. नं.386 को सुपुर्द कर समय करीब 09. 30एएम पर रवाना किया गया। समय 11.30 एएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. मय परिवादी श्री मनोज कुमार के उपस्थित आया एवं डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैनें पुलिस चौकी के पास पहुॅचकर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था जिस पर पुलिस चौकी राणीसती में परिवादी गया एवं थोड़ी देर बाद आकर टेप रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द कर बताया कि पुलिस चौकी में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी मौजुद नही है। परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि मैनें श्री महेन्द्र ओला एसएसआई के मोबाईल पर कॉल भी किया तो उसने फोन नही उठाया। तत्पश्चात रवाना होकर हम दोनो उपस्थित आ गयें। परिवादी मनोज कुमार ने बताया कि शायद श्री महेन्द्र ओला एसएसआई को मेरे पर शक हो गया है इसलिये वो चौकी पर नही मिल रहा है एवं मेरा फोन भी नही उठा रहा है, वो अब मेरे से न तो मिलेगा और न ही बात करेगा।

तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर परिवादी मनोज कुमार द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 17.08.2023 को पुलिस चौकी राणीसती में श्री जगमोहन कानि. से हुई बातचीत एवं जगमोहन कानि. द्वारा अपने मोबाईल से श्री महेन्द्र ओला एएसआई के मोबाईल पर लाउड स्पीकर ऑन कर की गई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको कार्यालय के कार्मिको के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर उपरोक्त वार्ता की लेपटॉप से 03 सीडी तैयार कर एक सीडी पर मार्क ''ए–1'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एंव 02 सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालापो में परिवादी श्री मनोज कुमार ने स्वंय की व कानि. जगमोहन एवं श्री महेन्द्र ओला एएसआई की आवाजों की पहचान की है। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.10 पीएम पर परिवादी मनोज कुमार ने बताया कि मेरे रिस्तेदार श्री भगवान सिंह ने मोबाईल नं. 9414665599 से मेरे मोबाईल नं. 9024694121 पर आज दिनांक 22.08.2023 को समय लगभग 10.19एएम पर फोन कर मुझे कहॉ कि '' श्री महेन्द्र एएसआई बोल रहे है कि वो मेरे फोन पर बार–बार फोन नही करें एवं अपनी गाडी कोर्ट से छुड़वाले मुकदमा नं. 424/23 है। मेरे को ऐसा लगता है कि महेन्द्र ओला, एएसआई को मेरे पर शक हो गया है, इसलिये वो मेरे को मिल नही रहा एवं मेरा फोन नही उठा रहा है इसलिये एएसआई महेन्द्र ओला ने मेरे रिस्तेदार से मेरे को फोन करवाया है ऐसी सुरत में महेन्द्र ओला एएसआई मेरे से अब वार्ता नही करेंगा।

ऐसी स्थिति में आरोपी श्री महेन्द्र ओला, एएसआई, पुलिस चौकी राणीसती पुलिस थाना उधोगनगर जिला सीकर से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन नही करवाया जा सका तथा दिनांक 17.08.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कानि. जगमोहन को परिवादी से 2500 रूपये लेने के लिए कहना एवं हैड कानि. जगमोहन द्वारा परिवादी से 2500 रूपयें फाईल के खर्चे के बतौर रिश्वत की मांग की गई है, हालांकि मांग के अनुसार परिवादी द्वारा कानि. जगमोहन को पैसे अपने पास नही होने के कारण लाकर देने की बात कहने पर हैड कानि. जगमोहन द्वारा रूपये श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई को ही देदेना मेरे कोई दिक्कत नही है कहॉ है, इसलिए श्री महेन्द्र सिंह ओला, एएसआई एवं श्री जगमोहन सिंह हैड कानि. नं. 576 के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई चौकी में परिवादी को नही मिलता है तब वह चौकी में मौजुद हैड कानि. जगमोहन सिंह से एएसआई के सम्बन्ध में पता करने पर हैड कानि. जगमोहन सिंह द्वारा अपने मोबाईल से

श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई के मोबाईल पर अपने मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता करता है तो कानि. जगमोहन के कथन है कि " ब मनोंज आला मुकदमा नम्बर कता है " जिस पर आरोपी एएसआई के कथन है कि " आयो है के बो " हैड कानि. जगमोहन के कथन है कि "हां" आरोपी एएसआई के कथन है कि " **ब आ ..... . रिपया लेना है** ", हैड कानि. जगमोहन के कथन है कि ' **कता** " आरोपी एएसआई के कथन है कि " **2500**" इसके पश्चात हैड कानि. जगमोहन परिवादी से कहता है कि " **पहली तो फाईल को खर्चो दयो ढाई हजार रिपया**" परिवादी रूपयो के लिए कहता है कि " ब तो मैं लादयो हूं" जिस पर हैड कानि. जगमोहन के कथन है कि " **लयादयो तो** " जिस पर परिवादी के कथन है कि " **अजी अब आयो हूं लियाउ जाके**" जिस पर कानि. जगमोहन कहता है कि " **दे दियो बान ही दे दियो मान कोई दिक्कत कुनी, और 434 नम्बर मुकदमू है**" आदि कथनों से आरोपीगण श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई एवं हैड कानि. जगमोहन द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री महेन्द्र सिह ओला, एएसआई, पुलिस चौकी राणीसती पुलिस थाना उधोगनगर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये जगमोहन सिंह हैड कानि. नं. 576 पुलिस चौकी राणीसती पुलिस थाना उधोगनगर जिला सीकर के द्वारा मोबाईल पर वार्ता करने के दौरान परिवादी की गाडी के एक्सीडेन्ट के मुकदमें के सम्बन्ध में कानि. जगमोहन को परिवादी से 2500 रूपये लेने के लिए कहना एवं हैड कानि. जगमोहन सिंह द्वारा परिवादी से 2500 रूपयें फाईल के खर्चे के बतौर रिश्वत की मांग की गई है, हालांकि मांग के अनुसार परिवादी द्वारा हैड कानि. जगमोहन सिंह को पैसे अपने पास नही होने के कारण लाकर देने की बात कहने पर हैड कानि. जगमोहन सिंह द्वारा रूपये श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई को ही देदेना मेरे कोई दिक्कत नही है कहॉ है। तत्पश्चात पुनः सत्यापन हेतु परिवादी द्वारा श्री महेन्द्र सिंह ओला एएसआई से मिलने एवं वार्ता करने की काफी प्रयास किये गये परन्तु श्री महेन्द्र सिंह ओला को परिवादी पर शक हो जाने के कारण महेन्द्र सिंह ओला एएसआई चौकी पर उपस्थित नही मिला और नही परिवादी का फोन उठाया। श्री महेन्द्र सिंह ओला, एएसआई एवं श्री जगमोहन सिंह हैड कानि. नं. 576 पुलिस चौकी राणीसती, पुलिस थाना उधोगनगर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्री महेन्द्र सिंह ओला पुत्र श्री गणपत राम निवासी ग्राम कुड़ली पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल सहायक उप निरीक्षक, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर एवं श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी ग्राम रोरू बड़ी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल हैड कानि. नं. 576, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महेन्द्र सिंह ओला, पदस्थापन सहायक उप निरीक्षक, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उद्योग नगर जिला सीकर एवं 2. श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, पदस्थापन हैड कानि0 नं0 576, चौकी राणीसती, पुलिस थाना उद्योग नगर, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 267/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

6.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2902-05 दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

6.10.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।